(ग) इस संबंध में जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसिस परीक्षा, इंजीनियरी सेवा परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं। वर्तमान में इन परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी है

संसद द्वारा 1968 में पारित राजभाषा संकल्प में यह अपेक्षा की गई है कि परीक्षा की भावी योजना क्रियाविधिक पहलुओं तथा समय के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के बाद ही संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को, अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाए जाने की अनुमति दी जाएगी। 1979 में शुरू की गई सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना में, उम्मीदवार को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में देने का विकल्प किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्याधिक गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए कई भाषाओं में प्रश्न पत्र तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने तथा साक्षात्कार आयोजित कर के काम की अत्याधिकता तथा जटिलता के कारण बहुभाषी माध्यम की सुविधा देना सम्भव नहीं हो सका है।

—

12 NOON

STATEMENTS MADE BY MINISTERS CORRECTING ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal) : Sir, we have not received the copy of the Thakkar Commission report. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : That can be raised after the Statements by Ministers and laying of papers on the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 24th March, 1988 to Unstarred Question 3110 regarding sanctioned strength of IAS/IPS Officers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 13th March, 1989 to Unstarred Question 1983 regarding complaints against the General Manager, Telecommunication Stores, Calcutta.

—

PAPERS LAID ON THE TABLE

[**The Deputy Chairman** in the Chair[]

Notification of the Ministry of Defence

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): Madam I beg to lay on the Table, under sedtion 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Defence Notification S.R.O. No. 9(E), dated the 1st March, 1989, declaring every service in the Madras Port to be a service of vital importance to the community. [Placed in Library. *See* No. LT 7574/89.]